

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12042025-262439
SG-DL-E-12042025-262439असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 114]
No. 114]दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947
DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 13
[N. C. T. D. No. 13भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

फा.सं. डीपीसीसी/(12)(1)(493)प्रयोग.(ए)/2024/पार्ट फाइल-बी/123.—वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 28 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वायु प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य वायु प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य वायु प्रयोगशाला के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th April, 2025

F. No. DPCC/(12)(1)(493)Lab(A)/2024/Pt-B/123.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) (b) of section 28 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act No. 14 of 1981), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby specifies the Air Laboratory of the Delhi Pollution Control Committee as the State Air Laboratory to carry out the functions entrusted to the State Air Laboratory under the said Act.

This notification shall come into force with effect from the date of the publication in the official Gazette

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
Government of National Capital Territory of Delhi,
RAJIV RANJAN, Jt Secy.